आज दिनांक 08.09.2020 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 61 (एकसठ) एजेंडा शामिल हुए जिसमें कुल 60 (साठ) एजेंडा को स्वीकृत किया गया। जिसमें 01 विधायी मामले है। कुछ अतिमहत्वपूर्ण निर्णय निम्न प्रकार है :–

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

–:: प्रेस नोट ::–

41–(08)–122–2020

पटना में दिनांक–08 सितम्बर, 2020 मंगलवार को अपराह्न 5:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

गृह विभाग

1.	बिहार पुलिस के अन्तर्गत गठित स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (Special Auxiliary Police) में कार्यरत भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष 2016–2017 से 2020–2021 तक अर्थात कुल 05 वर्षों के लिये विस्तारित करने के संबंध में।	**1. स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

2.	जम्मू–कश्मीर के बारामूला जिले में दिनांक 17.08.2020 को आतंकी हमले में शहीद हुए बिहार निवासी केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल के जवानों के परिवार के एक सदस्य को बिहार सरकार के अधीन नियुक्त करने के संबंध में।	**2. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

3.	श्री मो० इरशाद अंसारी, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान), भोजपुर, आरा सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता एवं गबन करने संबंधी आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14(x) –सह–पठित– (संशोधन) नियमावली 2007 के नियम–14 (xi) के तहत सेवा से बर्खास्त करने एवं निलंबन अवधि में भुगतान किए गए जीवन निर्वाह भत्ता को छोड़कर कुछ भी देय नहीं होने के प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में।	**3. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

4. राज्य में COVID-19 के प्रभावी नियंत्रण एवं चिकित्सा व्यवस्थाओं पर व्यय हुई राशि की प्रतिपूर्ति के लिए रू० 303. 00 करोड़ एवं माह नवम्बर, 2020 तक आईसोलेशन केन्द्रों को परिचालित करने एवं चिकित्सा सुविधा उपलबध कराने हेतु आवश्यक रू० 150.00 करोड़, अर्थात् कुल रू० 453.00 करोड़ (रूपये चार सौ तिरपन करोड़) मात्र की राशि की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति। **4. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

5. डा० अजय कुमार झा, चिकित्सा पदाधिकारी, जिला कुष्ठ नियंत्रण इकाई, बेतिया को दिनांक 01.12.2011 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। **5. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

6. जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा में 100 एम०बी०बी०एस० नामांकन क्षमता के साथ, संस्थान की मान्यता के लिए, एम०सी०आई० मानक के अनुरूप, आवश्यक, शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक पदों को मिलाकर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 86 (छियासी) तथा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के लिए 270 (दो सौ सत्तर) अर्थात् कुल 356 (तीन सौ छप्पन) नये पदों के सृजन की स्वीकृति। **6. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

7. वर्ष 2020–21 में केन्द्र प्रायोजित योजना–''स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन'' अन्तर्गत केन्द्रांश मद में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि की प्रत्याशा में केन्द्रांश मद से एवं राज्यांश मद में बजट प्रावधान अन्तर्गत वेतनादि एवं संविदा सेवा में उपबंधित राशि से व्यय करने की स्वीकृति के संबंध में। **7. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

8. सात निश्चय अंतर्गत खोले जाने वाले 28 (अठाईस) पारामेडिकल संस्थानों एवं राज्य के 07 (सात) चिकित्सा महाविद्यालयों में चल रहे पारामेडिकल संस्थानों अर्थात् कुल 35 (पैंतीस) पारामेडिकल संस्थानों हेतु बिहार पारामेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमति) नियमावली, 2005 द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानक के आलोक में विभिन्न शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक श्रेणी के कुल 1235 (एक हजार दो सौ पैंतीस) पदों के सृजन की स्वीकृति। **8. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

9. कोविड–19 के कारण विद्यालय बंद रहने की स्थिति में राज्य सरकार के निर्णयानुसार मध्याह्न भोजन योजना अन्तर्गत दिनांक 14.03.2020 से 03.05.2020 तक राज्य योजना मद से खाद्यान के समतुल्य ₹1,51,48,15,350/– (एक सौ ईकावन करोड़ अड़तालीस लाख पन्द्रह हजार तीन सौ पचास रू०) मात्र की राशि जो DBT के द्वारा छात्र/छात्राओं/ अभिभावकों के बैंक खाता में हस्तांतरित की गई है, के व्यय पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

9. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

10. वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान एवं अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा में 100 एम०बी०बी०एस० नामांकन क्षमता को बढ़ाकर 150 एम०बी०बी०एस० नामांकन क्षमता करने के लिए, एम०सी०आई० मानक के अनुरूप, आवश्यक, शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक पदों को मिलाकर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 116 (एक सौ सोलह) तथा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के लिए 423 (चार सौ तेईस) अर्थात् कुल 539 (पाँच सौ उन्चालिस) अतिरिक्त नये पदों के सृजन की स्वीकृति।

10. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

11. राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेतिया में 100 एम०बी०बी०एस० नामांकन क्षमता को बढ़ाकर 150 एम०बी०बी०एस० नामांकन क्षमता करने के लिए, एम०सी०आई० मानक के अनुरूप, आवश्यक, शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक पदों को मिलाकर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 116 (एक सौ सोलह) तथा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के लिए 423 (चार सौ तेईस) अर्थात् कुल 539 (पाँच सौ उन्चालिस) नये पदों के सृजन की स्वीकृति।

11. स्वीकृत।

खान एवं भूतत्व विभाग

12. बिहार खजिन (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–77(2) के तहत दिनांक 31.10.2020 को समाप्त हो रही बालू बंदोबस्ती अवधि विस्तार को कोविड–19 के कारण बालूघाट संचालन बंद रहने तथा नव बंदोबस्त बालूघाटों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने में विलम्बता के कारण दिनांक 31.12.2020 अथवा नये बालू बंदोबस्तधारियों को पर्यावरणीय स्वीकृति उपरांत कार्यादेश निर्गत करने की तिथि जो पहले हो, तक अवधि विस्तार गत वर्ष के बंदोबस्ती राशि पर 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ करने की स्वीकृति के संबंध में।

12. स्वीकृत।

खान एवं भूतत्व विभाग

13. बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के अध्याय–VIII, नियम–38(3) में संशोधन। **13. स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

14. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में संशोधन। **14. स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

15. पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का दिनांक–31.10.2012 तक की अवधि में अनफण्डेड टर्मिनल बेनिफिट दायित्व के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए अनुमानित देय वार्षिक दायित्व के भुगतान हेतु 757.63 करोड़ (सात सौ संतावन करोड़ तिरसठ लाख) रूपये बिहार स्टेट पावर (हो०) कं०लि० को तीन किश्तों में उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **15. स्वीकृत।**

आपदा प्रबंधन विभाग

16. बाढ़ 2020 के मद्देनजर स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष 2245–02–101–0001–निःसहायो एवं विकलांगों को नगद अनुदान, विषय शीर्ष 35 01– नगद/वस्तु मद के अंतर्गत ₹750.00 करोड़ (सात सौ पचास करोड़ रूपये) तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष 2245–02–114–0001– कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) विषय शीर्ष 35 01– नगद/वस्तु मद के अंतर्गत ₹750.00 करोड़ (सात सौ पचास करोड़ रूपये) कुल ₹1500.00 करोड़ (पन्द्रह सौ करोड़ रूपये) बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। **16. स्वीकृत।**

आपदा प्रबंधन विभाग

17. COVID-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में संदिग्ध मरीजों की जाँच एवं महामारी के समग्र प्रभावित नियंत्रण हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष 2245–80–102– 0005–जागरूकता एवं क्षमता निर्माण, विषय शीर्ष 21 01–सामग्री एवं पूर्तियाँ मद के अंतर्गत ₹465.00 करोड़ (चार सौ पैसठ करोड़ रूपये) बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। **17. स्वीकृत।**

गृह विभाग

18. गृह विभाग के अधीन राज्य के विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में सहायक निदेशक (राजपत्रित) तथा वरीय वैज्ञानिक सहायक (अराजपत्रित) के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु बिहार पुलिस हस्तक भाग–3 के परिशिष्ट–99 में आंशिक संशोधन करने के उद्देश्य से बिहार पुलिस हस्तक (संशोधन), 2020 अधिसूचित करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में। **18. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

19. मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर अंचल के मौजा–जयनगर एवं उसराही देवधा के विभिन्न खाता एवं खेसरा का कुल रकबा–1.2434 एकड़ अनावाद बिहार सरकार की भूमि सशुल्क आधार पर 72,69,750/– (बहत्तर लाख उनहत्तर हजार सात सौ पचास) रू० (भूमि विवरणी एवं राशि की गणना परिशिष्ट–I संलग्न) के भुगतान पर जयनगर–वर्दीवास परियोजना हेतु पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर को हस्तान्तरण के संबंध में।

19. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

20. श्रमायुक्त बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन ग्रामीण श्रम कल्याण केन्द्रों के समाज आयोजक के स्वीकृत 48 पद, ए०एन०एम० के 28 पद, चौकीदार–सह–अनुसेवक के 48 पद एवं राज्य श्रम कल्याण केन्द्र के महिला समाज आयोजिका के स्वीकृत 13 पदों अर्थात् कुल स्वीकृत 137 पदों में से समाज आयोजक के स्वीकृत 48 पदों के विरूद्ध वर्तमान में रिक्त 30 पदों को प्रत्यर्पित एवं 18 कार्यरत पदों को मरणशील, ए०एन०एम० के स्वीकृत 28 पदों के विरूद्ध वर्तमान में रिक्त 24 पदों को प्रत्यर्पित एवं 4 कार्यरत पदों को मरणशील, चौकीदार–सह–अनुसेवक के स्वीकृत 48 पदों के विरूद्ध वर्तमान में रिक्त 31 पदों को प्रत्यर्पित एवं 17 कार्यरत पदों को मरणशील तथा राज्य श्रम कल्याण केन्द्र के महिला समाज आयोजिका के स्वीकृत 13 पदों के विरूद्ध वर्तमान में रिक्त 8 पदों को प्रत्यर्पित एवं कार्यरत 5 पदों को मरणशील अर्थात् कुल स्वीकृत 137 पदों में से कुल 93 रिक्त पदों को प्रत्यर्पित एवं कुल 44 कार्यरत पदों को मरणशील घोषित कर विभाग के अन्तर्गत ही अन्य कार्य लिये जाने के संबंध में।

20. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

21. पाँच वित्तीय वर्षों (2020–21 से 2024–25) में राज्य के सभी 8463 पैक्सों में कृषि संयत्र बैंक स्थापित करने एवं वर्त्तमान में केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) से वर्ष 2019–20 में अग्रिम के रूप में प्राप्त 439.05 करोड़ (चार अरब उनचालीस करोड़ पाँच लाख) रूपये के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य के 2927 प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्सों) में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित करने की योजना की स्वीकृति तथा बिहार आकस्मिकता निधि से 439.05 करोड़ रूपए अग्रिम प्राप्त कर तदनुसार निकासी तथा व्यय की स्वीकृति।

21. स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

22. बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 के आलोक में नयी बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 2020 को प्रख्यापित करने के संबंध में। **22. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

23. आगामी तीन वित्तीय वर्षों, यथा 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 तक के बजट पुस्तिकाओं का मुद्रण एवं इसका सी॰डी॰ (राईट कर) उपलब्ध कराने हेतु पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के उपक्रम, सर्वश्री सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता, को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम–131 ज्ञ(ङ) के तहत नामांकन के आधार पर प्राधिकृत करने के संबंध में। **23. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

24. बिहार में कार्यरत दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक तथा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के पुनर्पूंजीकरण सहायता के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए राज्य सरकार के हिस्सा के रूप में क्रमशः 13.52 करोड़ रूपये तथा 6.43 करोड़ रूपये अर्थात् कुल 19.95 करोड़ रूपये बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वरूप उपबंध किये जाने एवं उसके भुगतान की स्वीकृति के संबंध में। **24. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

25. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP(c) Diary No.-15567/2018-बिहार राज्य बनाम महेन्द्र कुमार मिश्रा एवं अन्य के साथ अन्य सदृश SLP में पारित आदेश के अनुपालन में विभिन्न बोर्ड/निगम से कोषागार एवं भविष्य निधि कार्यालयों में सामंजित कर्मियों को पेंशन एवं सेवानिवृत लाभ स्वीकृत करने के लिए बोर्ड/निगम की सेवा अवधि को जोड़ने के संबंध में। **25. स्वीकृत।**

पंचायती राज विभाग

26. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन की समय–सीमा की वृद्धि के संबंध में। **26. स्वीकृत।**

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

27. वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2022–23 तक राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान, पटना के भवन निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु पूर्व में जमा राशि तथा शेष राशि माँग संख्या–03, भवन निर्माण विभाग, ग्रुप हेड राज्य स्कीम के अंतर्गत प्रावधानित कर, कुल रूपये 30.52 करोड़ (तीस करोड़ बावन लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति। **27. स्वीकृत।**

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

28. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन बिहार वन लिपिकीय संवर्ग के पदों का चिन्हितिकरण एवं सुव्यवस्थिकरण के प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में। **28. स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

29. राज्य में In–Situ Treatment of Sludge of septic tanks of Community/Mobile Toilet and Sewage through Bioremediation for Treatment of the Nallas joing the river Ganga in Bihar योजना के कार्यान्वयन और इसके कार्यान्वयन हेतु संभावित व्यय रू० 55,20,25,118.00 (GST सहित) (पचपन करोड़ बीस लाख पच्चीस हजार एक सौ अठारह रू० मात्र) एवं इसके Third Party Inspection पर होने वाले व्यय रू० 1,44,97,000.00 (GST सहित) (एक करोड़ चौवालीस लाख सत्तानवे हजार रू० मात्र) अर्थात कुल राशि रू० 56,65,22,118.00 (छप्पन करोड़ पैंसठ लाख बाईस हजार एक सौ अठारह रू० मात्र) का राज्य योजना मद से व्यय किये जाने की स्वीकृति। **29. स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

30. केन्द्र प्रायोजित पटना स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत पूर्व से चयनित विभिन्न योजनाओं को Drop/Descope करने एवं इसकी बचत की कुल राशि ₹108.00 करोड़ (एक अरब आठ करोड़ रू० मात्र) से पूर्व में स्वीकृत/संचालित योजनाओं के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन की वर्द्धित कुल राशि ₹05.07 करोड़ (पाँच करोड़ सात लाख रू० मात्र) के व्यय की एवं बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत पूर्व से चयनित एक योजना को Drop करने एवं इसकी बचत की कुल राशि ₹20.00 करोड़ (बीस करोड़ रू० मात्र) से पूर्व में स्वीकृत/संचालित एक योजना के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन की वर्द्धित कुल राशि ₹19.34 करोड़ (उनीस करोड़ चौतीस लाख रू० मात्र) के व्यय की स्वीकृति। **30. स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

31. बिहार भू–सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों के सेवा शर्त्त के निर्धारण के संबंध में। **31. स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

32. अन्तर्राज्जीय बस टर्मिनल, पटना के बेहतर एवं व्यवस्थित संचालन हेतु अन्तर्राज्जीय बस टर्मिनल पटना सोसाईटी नियम एवं विनियम का प्रारूप पर स्वीकृति के संबंध में। **32. स्वीकृत।**

विधि विभाग

33. माननीय उच्च न्यायालय, पटना की स्थापना में पुस्तकालयाध्यक्ष संवर्ग के विभिन्न कोटि के 26 (छब्बीस) पदों के सृजन के संबंध में। **33. स्वीकृत।**

विधि विभाग

34. माननीय उच्च न्यायालय, पटना की स्थापना में स्टाफ कार चालक संवर्ग के विभिन्न कोटि के 07 पदों के सृजन एवं स्टाफ कार चालक (बेसिक ग्रेड) के पूर्व से सृजित 02 पदों के उत्क्रमण के संबंध में। **34. स्वीकृत।**

विधि विभाग

35. माननीय उच्च न्यायालय, पटना की स्थापना में निजी सहायक/आशुलिपिक संवर्ग के विभिन्न कोटि के 145 पदों के सृजन, 64 पदों के उत्क्रमण एवं 12 पदों के प्रत्यर्पण के संबंध में। **35. स्वीकृत।**

विधि विभाग

36. माननीय उच्च न्यायालय, पटना की स्थापना में अन्य गैर संवर्गीय पदों एवं वर्ग–IV के विभिन्न कोटि के 720 पदों के सृजन एवं पूर्व से सृजित टंकक के 16 पदों के सम्परिवर्तन एवं पूर्व से सृजित डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर के 01 पद के उत्क्रमण के संबंध में। **36. स्वीकृत।**

विधि विभाग

37. माननीय उच्च न्यायालय, पटना की स्थापना में मानदेय और संविदा के आधार पर 61 (एकसठ) विधि सहायक के पद सृजन के संबंध में। **37. स्वीकृत।**

विधि विभाग

38. माननीय उच्च न्यायालय, पटना की स्थापना में विविध संवर्ग के विभिन्न कोटि के 04 (चार) पदों के सृजन के संबंध में। **38. स्वीकृत।**

विधि विभाग

39. न्यायमंडल समस्तीपुर के अंतर्गत अनुमंडलीय न्यायालय, शाहपुर पटोरी में एक अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी (SDJM) एवं एक न्यायिक दण्डाधिकारी (JM) के न्यायालय के लिए विभिन्न कोटि के कुल 13 अराजपत्रित कर्मियों के पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। **39. स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

40. भारतीय भाग में निर्मित कमला बलान बॉया एवं दायॉ तटबंध को नेपाल भाग में निर्मित कमला बॉया एवं दायॉ तबबंध को जोड़ने का कार्य, जिसकी पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रू० 4175.00 लाख (एकतालीस करोड़ पचहत्तर लाख) है, के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। **40. स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

41. मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर में कमला नदी पर निर्मित वीयर के बराज में रूपांतरण कार्य जिसकी प्राक्कलित राशि रू० 405.6627 करोड़ (रू० चार सौ पॉच करोड़ छियासठ लाख सताईस हजार) मात्र है, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। **41. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

42. बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग की भाँति बिहार आयुष (आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक) संवर्ग के चिकित्सक शिक्षकों के वेतनस्तर संशोधन के संबंध में। **42. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

43. पथ प्रमंडल, हिलसा अन्तर्गत Rehabilitation and upgrading to 2-lane with paved shoulder configuration and strengthening of Existing road Salepur-Narsanda-Telmar-Karouta के कुल लंबाई 19.767 कि०मी० (up to Jn with NH-30 in km 224) में site clearance & Dismantling कार्य, पथ परत कार्य, विविध कार्य, Box & HP Culvert कार्य, Bridge & underpass कार्य, Drainage कार्य एवं भूमि अधिग्रहण कार्य हेतु 26500.00 (दो सौ पैसठ करोड़) लाख रूपये मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **43. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

44. पथ प्रमंडल सीवान अंतर्गत तितरा–नौतन–जगदीशपुर पथ के कि॰मी॰ 0.00 से 13.00 (कुल लंबाई 13.00 कि॰मी॰) में मिट्टी कार्य, Rigid Pavement कार्य, RCC Box Culvert कार्य, Utility Shifting कार्य, HL Bridge (1 x 16.00m ch. 9.50 & 2x14.00m ch. 10.70) कार्य, सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल 3376.26 (तेंतीस करोड़ छिहत्तर लाख छब्बीस हजार) रूपये मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **44. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

45. पथ प्रमंडल सीतामढ़ी अंतर्गत NH–77 old alignment के बाजितपुर (लगमा)–डुमरा–कारगिल चौक–महसौल चौक–मोहनपुर–रामनगरा मोड़ पथ के कि.मी. 0.00 से 16.35 (कुल पथांश 16.35 कि.मी.) में मिट्टी कार्य, पथ फर्निचर कार्य/Road Safety कार्य, Utility Shifting कार्य एवं RCC Box Culvert कार्य, HL Bridge कार्य एवं विविध कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल 5118.94 लाख (इक्यावनव करोड़ अठारह लाख चौरानवें हजार) मात्र रूपये पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **45. स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

46. विशेष भूमि आवंटन एवं आम माफी नीति, 2020 की स्वीकृति के संबंध में। **46. स्वीकृत।**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

47. वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल ₹ 73.45008 करोड़ (रूपये तेहत्तर करोड़ पैतालीस लाख आठ सौ) मात्र की अनुमानित लागत व्यय पर राज्य योजना अन्तर्गत राज्य में ''समग्र गव्य विकास योजना'' के तहत राज्य के सभी वर्गो के कृषकों/पशुपालकों/बेरोजगार युवक–युवतियों के लिए स्वरोजगार के सृजन हेतु 02 एवं 04 दुधारू मवेशियों की डेयरी इकाई की स्थापना पर सब्सिडी के रूप में अनुदान व्यय करने की स्वीकृति तथा स्वीकृत राशि के विरूद्ध व्यय ₹ 50.00 करोड़ (रूपये पचास करोड़) तक ही सीमित रखने के संबंध में। **47. स्वीकृत।**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

48. बिहार के लिए ''प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना'' अन्तर्गत मात्स्यिकी विकास तथा मात्स्यिकी आधारभूत संरचना के विकास हेतु केन्द्रांश ₹34.1834 करोड़ (चौतीस करोड़ अठारह लाख चौतीस हजार) तथा राज्यांश ₹22.7889 करोड़ (बाईस करोड़ अठहत्तर लाख नवासी हजार) अर्थात् कुल ₹56.9723 करोड़ (छप्पन करोड़ संतानवे लाख तेईस हजार) की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। **48. स्वीकृत।**

विधि विभाग

49. बिहार न्यायिक अकादमी, पटना में उपनिदेशक (सिविल जज, सिनियर डिवीजन), प्रशासनिक पदाधिकारी (सिविल जज, जूनियर डिवीजन) तथा सहायक निदेशक (रिसर्च एवं ट्रेनिंग) (सिविल जज, जूनियर डिवीजन) के पदों का क्रमशः उपनिदेशक (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश), प्रशासनिक पदाधिकारी (सिविल जज, सीनियर डिवीजन) तथा सहायक निदेशक (रिसर्च एवं ट्रेनिंग) (सिविल जज सिनियर डिवीजन) के पदों पर उत्क्रमण के संबंध में। **49. स्वीकृत।**

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

50. वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अन्तर्गत प्रतिपूरक वनीकरण, वनभूमि का निवल वर्त्तमान मूल्य एवं ब्याज मद की राशि के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण, कैम्पा, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अतिरिक्त स्वीकृति के आलोक में राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि शीर्ष में जमा राशि से कुल रू० 7694.00 लाख (छिहत्तर करोड़ चौरानवे लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति तथा कुल रू० 8124.76 लाख (एकासी करोड़ चौबीस लाख छिहत्तर हजार रूपये) बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति का प्रस्ताव। **50. स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

51. टाल विकास योजना (प्राक्कलित राशि रू० 1178.50 करोड़) (ग्यारह सौ अठहत्तर करोड़ पचास लाख रूपये मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। **51. स्वीकृत।**

परिवहन विभाग

52. मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत प्रति पंचायत 5 लाभुकों के निर्धारित लक्ष्य को बढ़ाकर 7 लाभुक प्रति पंचायत करने की स्वीकृति के संबंध में। **52. स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग

53. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कार्यरत अकुशल मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के संबंध में एक अकुशल मजदूर के प्रति सात घंटा काम के लिए मिट्टी कटाई के साथ–साथ लीड एवं लिफ्ट हेतु निर्धारित दर के संशोधन के संबंध में। **53. स्वीकृत।**

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

54. केन्द्र प्रायोजित पुलिस के आधुनिकीकरण के लिये राज्यों को सहायता योजना वर्ष 2020–21 हेतु केन्द्रांश की राशि ₹2762.391 लाख (सताईस करोड़ बासठ लाख उनतालीस हजार एक सौ रू०) मात्र तथा राज्यांश की राशि ₹1841.594 लाख (अठारह करोड़ एकतालीस लाख उनसठ हजार चार सौ रू०) मात्र अर्थात् कुल–₹4603.985 लाख (छियालीस करोड़ तीन लाख अनठानवे हजार पाँच सौ रू०) मात्र के वार्षिक कार्य योजना एवं ₹1841.50 लाख (अठारह करोड़ इकतालीस लाख पचास हजार रू०) मात्र के पूरक योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देने तथा राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं अनुवर्ती वर्षों में करने के संबंध में। **54. स्वीकृत।**

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

55. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से केवल 10वीं (मैट्रिक) में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं हेतु प्रोत्साहन राशि का वितरण शिक्षा विभाग द्वारा DBT के माध्यम से कराए जाने की स्वीकृति। **55. स्वीकृत।**

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

56. ''बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना'' के अंतर्गत किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखण्ड के डेरामारी में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण (5 वर्षों के रख–रखाव सहित) हेतु तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन की राशि ₹5303.35 लाख (रूपये तिरपन करोड़ तीन लाख पैंतीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। **56. स्वीकृत।**

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

57. मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय (MANUU), चंदनपट्टी, लहेरियासराय, दरभंगा के शाखा परिसर का विस्तार, विकास, मूलभूत सुविधाओं एवं अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास आदि निर्माण के लिए 20.876 एकड़ भू–अर्जन की स्वीकृति के साथ बिहार आकस्मिकता निधि से 30,38,04,000/–रूपये (तीस करोड़ अड़तीस लाख चार हजार रूपये) मात्र अग्रिम की स्वीकृति एवं व्यय के संबंध में। **57. स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

58. कोविड–19 वैश्विक महामारी के दौरान राजस्व वसूली में हुई अप्रत्याशित कमी से ऊर्जा क्रय के बकाया भुगतान हेतु नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं॰लि॰ को 1260.00 करोड़ (एक हजार दो सौ साठ करोड़) रूपये एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं॰लि॰ को 2240.00 करोड़ (दो हजार दो सौ चालीस करोड़) रूपये अर्थात कुल 3500.00 करोड़ (तीन हजार पाँच सौ करोड़) रूपये का अतिरिक्त कार्यशील पूँजी ऋण (Working Capital Loan) भारत सरकार के लिक्विडिटी इन्फ्यूजन स्कीम के तहत पावर फाईनेन्स कॉरपोरेशन लि० (PFC) एवं रूरल ईलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लि० (REC) से राज्य सरकार की गारंटी पर प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **58. स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

59. षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा की प्रत्याशा में नगर निगम, पटना को वित्तीय वर्ष 2020–21 में तत्काल ₹5000.00 लाख (पचास करोड़ रू०) मात्र के विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

59. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

60. सात निश्चय अन्तर्गत भोजपुर जिला में प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु भोजपुर जिलान्तर्गत उदवन्तनगर अंचल के मौजा–एकौना एवं भेलाई में क्रमशः थाना सं–354 एवं 228 के विभिन्न खाता, खेसरा के शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय भोजपुर की 25 एकड़ 14 डिसमिल (भूमि विवरणी, परिशिष्ट–I संलग्न) भूमि तथा स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत कोईलवर मानसिक आरोग्यशाला अंचल कोईलवर, मौजा–छितमपुर, थाना नं०–130, खाता–113, खेसरा–326, रकबा–25 एकड़ भूमि परस्पर बदलैन के संबंध में।

60. स्वीकृत।